

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

दांडिक प्रकरण कं.-426/11
संस्थापित दिनांक-15.09.2011
Filling no-235103001022011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- अकबर खां पुत्र मोहम्मद खांमृत
2- नजर अहमद पुत्र शरीफ खांन आयु 40 साल
3- नफीजा बानो पत्नी शरीफ खां आयु 57 साल
4- गुलफिजा पुत्री शरीफ खांन उम्र 27 साल निवासीगण:- गुमट मोहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34(तीन बार), 341 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 09.08.2011 को समय दिन के 2:30 बजे स्थान गुमट मोहल्ला खिडकी दरवाजा चंदेरी लोकस्थल में फरियादी अबरार अहमद को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अबरार अहमद एवं उसे बचाने आये मोहम्मद खालिद एवं इमाम अख्तर के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा उन्हें एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी अबरार एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक **16.08.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को भा.द.वि की धारा 294, 323/34, 341(अबरार के संबंध में) के आरोप से दोषमुक्त किया गया है तथा प्रकरण में यह भी अवलोकनीय है कि प्रकरण के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त अकबर की मृत्यु होना भी स्वीकृत है।

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी अबरार अहमद ने हमराही इमाम अख्तर, मोहम्मद खालिद के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 09.08.2011 को करीब 2:30 बजे अकबर का बरा उनके घर में घुस आया था जिसको फरियादी ने भगा दिया था, इसी बात पर अकबर उसे मां बहन की अश्लील गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो अकबर ने उसे थप्पड़ों से मारपीट करने लगे, उसे इमाम अख्तर व मोहम्मद खालिद बचाने आए तो नजर अहमद, नफीसा बानो, गुलफिजा दोनों से चैंट गये, नजर अहमद ने मोहम्मद खालिद की लात घूसों से मारा जिससे गर्दन में बांये तरफ नाक के बांये तरफ खून निकल आया व मुंदा चोटे आई। इमाम अख्तर को नफीसा बानो ने एक छड़ की मारी जो सिर में लगी खून निकल आया तथा गुलफिजा ने मुक्को से मारपीट की थी। घटना के समय कपील अहमद तथा सुनील साहु थे जिन्होंने घटना देखी थी। जब फरियादी रिपोर्ट करने आने लगा तो नजर अहमद ने कुल्हाड़ी ले आया तथा अकबर, नफीसा, गुलफिजा चारों ने उनका रास्ता रोक लिया और लड़ाई करने को अमादा हो गये, जिस कारण फरियादी दुसरे रास्ते से रिपोर्ट करने आए। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा पुस्तैनी मकान में बटवारा नहीं करने के कारण रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 09.08.2011 को समय दिन के 2:30 बजे स्थान गुमट मोहल्ला खिडकी दरवाजा चंदेरी लोकस्थल में फरियादी को सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अबरार अहमद एवं उसे बचाने आये मोहम्मद खालिद एवं इमाम अख्तर के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
2.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर उन्हें एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क0 2:—

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार

अभियोजन में निहित होता है। फरियादी अबरार अहमद अ0सा01 ने उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 में आरोपीगण द्वारा उनका रास्ता रोकने वाली बात लेखबद्ध कराई है किन्तु स्वयं फरियादी अबरार खान, आहत मोहम्मद खालिद अ0सा03, ईमाम अख्तर अ0सा04, ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण द्वारा रास्ता रोकने वाली कोई बात नहीं व्यक्त की, जिससे फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी एवं आहतगण को एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क0 1:-

07— फरियादी अबरार अहमद अ0सा01 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है तथा आहत मोहम्मद खालिद और इमाम अख्तर दोनों उसके छोटे भाई हैं। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना 9—10 बजे की है। अकबर खान का बकरा उनके घर की छत पर चला गया था जिसे उनके द्वारा भगा दिया गया और उसके बाद आरोपीगण से कहा सुनी हो गई थी, इसके अलावा आरोपीगण उनके साथ कोई घटना नहीं की। उक्त घटना के संबंध में अबरार अहमद द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेख कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि उसने पुलिस को बचावची एवं धक्का मुक्की की बात बता दी थी। उक्त साक्षी ने बताया कि हम लोग आपस में एक दुसरे की मारपीट कर रहे थे।

08— अभियोजन अधिकारी द्वारा अबरार खान अ0सा01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। इस बात से भी इंकार किया कि उसे मोहम्मद खालिद और इमाम अख्तर बचाने आए थे। इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण मोहम्मद खालिद और इमाम अख्तर की भी मारपीट की थी साथ ही उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 के सी से सी भाग एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में स्वयं फरियादी अबरार खान अ0सा01 ने बताया कि घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और घटना के समय इमाम अख्तर और मोहम्मद खालिद मौजूद नहीं थे। उक्त साक्षी ने इस बात को भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपीगण से मकान का विवाद चल रहा है, इसलिये परिवार के लोगो के कहने पर रिपोर्ट कर दी थी।

09— मोहम्मद खालिद अ0सा03 ने कथनों में बताया कि आरोपीगण ने अबरार की लात—टुसो से मारपीट की थी और उक्त साक्षी तथा इमाम अख्तर ने मिलकर अबरार को बचाया था। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण मारने के लिये अपने साथ पाईप लेकर आए थे और अबरार की मारपीट में मुंह से खून निकला था और खरोच आई थी। उक्त साक्षी ने आगे बताया कि मारपीट में उसे भी गले में खरोच आई थी, जबकि इसके विपरीत स्वयं फरियादी अबरार खान अ0सा01 ने आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने से स्पष्ट: इंकार किया है और इस बात से भी इंकार किया है कि मोहम्मद खालिद अ0सा03 और

इमाम अख्तर अ0सा04 घटना के समय मौजूद थे, इसके अलावा स्वयं मोहम्मद खालिद ने उसके मुख्य परीक्षण में यह नहीं बताया कि उसे जो खरोच आई है वह किसके द्वारा कारित की गई है। इसके अलावा अन्य आहत इमाम अख्तर अ0सा04 ने उसके कथनों में बताया कि नफीसा का बकरा गेहूँ खाने आया था, अबरार ने उसे भगाया था तो सभी आरोपीगण ने उसके भाई को मां बहन की गालियां दी थी और जब गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण मारने को तैयार हो गये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण ने उसे अबरार व इमाम को कुल्हाड़ी, पाईप व छड से मारपीट की थी जिससे उसे सिर में चोट आई थी, अबरार को हाथ में चोट आई थी और इमाम को सिर में चोट आई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के समय कफील अहमद व सुनील साहू ने बीच बचाव किया था।

10— इमाम अख्तर अ0सा04 ने उसके कथनों में बताया कि पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया कि कुल्हाड़ी से उसके सिर में चोट आई थी और कुल्हाड़ी उल्टी लगी थी, कुल्हाड़ी को नजर अहमद लिये था। कुल्हाड़ी से अबरार अहमद को भी चोट आई थी। जबकि उक्त साक्षी ने उसके पुलिस कथन में कुल्हाड़ी से आरोपीगण द्वारा मारपीट करना एवं कुल्हाड़ी से चोट आना व्यक्त नहीं किया है, इसके अलावा उक्त साक्षी का कहना है कि सुनील साहू व कफील अहमद से उसकी कोई बुराई नहीं है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी सुनील साहू अ0सा05 एवं कफील अहमद अ0सा07 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण व फरियादी पक्ष को जानने वाली बात व्यक्त की, किन्तु घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया। इसके अलावा लइक खान अ0सा08 ने उसके कथनों में बताया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण के संबंध में कभी कोई कार्यवाही नहीं की, किन्तु उसने प्र.पी. 8 लगायत 11 के गिरफ्तारी पंचनामे में एवं तलाशी पंचनामे प्र.पी. 12 के दस्तावेजों पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी ने बताया कि हस्ताक्षर किस बात के किये थे उसे इस बात की जानकारी नहीं है।

11— नरेन्द्र सिंह अ0सा02 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 09.08.11 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी अबरार अहमद ने आरोपीगण के विरुद्ध मारपीट करने, रास्ता रोकने व अश्लील गालियां देने की रिपोर्ट की थी। राकेश सिंह अ0सा09 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 10.08.11 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा अ0क0 336/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी और विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे और आरोपीगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी. 8 लगायत 11 तैयार किया था एवं तलाशी पंचनामा प्र.पी.12 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा06 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 09.08.11 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में बीएमओ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक दिनेश शर्मा थान चंदेरी से मोहम्मद खालिद, अबरार अहमद, इमाम अख्तर का मेडिकल परीक्षण किया था। उक्त आहतगण की मेडिकल रिपोर्ट क्रमशः प्र.पी. 4, 5, 6 हैं जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— प्रकरण के फरियादी अबरार अहमद ने उसके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण द्वारा उसके एवं मोहम्मद खालिद एवं इमाम अख्तर के बीच कोई घटना कारित न होना व्यक्त किया है एवं यह भी व्यक्त किया कि आरोपीगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की है और घटना के समय मोहम्मद खालिद और इमाम अख्तर उसे बचाने नहीं आए थे और न ही उक्त दोनों लोग घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि आरोपीगण से उनके मकान का विवाद चल रहा है और परिवार के कहने पर उसने आरोपीगण की रिपोर्ट लेख कर दी थी। इसके अलावा मोहम्मद खालिद ने उसके मुख्य परीक्षण में यह तो व्यक्त किया कि मारपीट में उसे भी गले में खरोच आई थी किन्तु उक्त खरोच किसके द्वारा पहुँचाई गई इस संबंध में साक्षी ने न्यायालय में कोई कथन नहीं दिये और प्रकरण के अन्य आहत साक्षी इमाम अख्तर अ0सा04 ने घटना को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर एवं कुल्हाड़ी से आरोपीगण द्वारा मारपीट किया जाना व्यक्त किया है जिससे उक्त साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। इसके अलावा अन्य चक्षुदर्शी साक्षी सुनील एवं कफील अहमद ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है, जिससे उक्त साक्षीगण से साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

14— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 09.08.2011 को समय दिन के 2:30 बजे स्थान गुमट मोहल्ला खिडकी दरवाजा चंदेरी लोकस्थल में फरियादी को सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अबरार अहमद एवं उसे बचाने आये मोहम्मद खालिद एवं इमाम अख्तर के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर उन्हें एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया। अतः आरोपी नजर, नफीसा, गुलफिजा के विरुद्ध धारा 294, 323/34(तीन बार), 341 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

16— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

17— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

